

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2552
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग

2552. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अधिकरणों के लिए एक एकल एकीकृत अधिकरण मामला प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : वर्तमान में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में एकल एकीकृत अधिकरण मामला प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
